प्रेस नोट संख्या- 06
दिनांक 07.05.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 नफर अभियुक्त 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.05.2025 को वादी राजदुलार पुत्र रामऔसान यादव निवासी पूरे सुरजू तिवारी का पुरवा मजरे खौदिया थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी द्वारा थाना मुसाफिरखाना पर लिखित तहरीर दी गई कि ग्राम तूनियातार मजरे कस्थुनी पश्चिम थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी में एक शादी समारोह में संजय यादव पुत्र सन्तराम यादव निवासी तूनियातार मजरे कस्थुनी पश्चिम थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी हाल पता पूरे सुरजू तिवारी का पुरवा मजरे खौदिया थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी के साथ शैलेन्द्र यादव पुत्र साहबदीन यादव निवासी भद्दौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी व उनके दोस्तों 1.सन्तोष यादव पुत्र यज्ञदेव यादव, 2.सुनील यादव पुत्र दिनेश यादव की कहासुनी व मारपीट होने लगी तभी शैलेन्द्र यादव उपरोक्त द्वारा संजय यादव उपरोक्त पर तमंचे से फायर कर दिया गया जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गये जिनका इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उक्त सूचना पर थाना मुसाफिरखाना पर मु0अ0सं0 115/25 धारा 115(2), 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश-निर्देश दिए गये थे।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.05.2025 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 115/25 धारा 115(2), 109 बीएनएस थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी में नामजद 02 नफर अभियुक्त 1.शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र साहबदीन यादव उम्र करीब 23 वर्ष, 2.संतोष यादव उर्फ सानतोन यादव पुत्र यज्ञदेव यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण ग्राम भद्दौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को ग्राम निजामुद्दीनपुर के पास से समय करीब 10.30 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त शैलेन्द्र के पास से 01 अदद तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त शैलेन्द्र यादव उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 05.05.2025 को ग्राम तुनियातर मजरे कस्थुनी पश्चिम में एक शादी समारोह में संजय यादव से मेरा और मेरे 02 अन्य साथी 1.सुनील यादव, 2. संतोष यादव उर्फ सानतोन यादव का झगड़ा हो गया था तभी मैंने संजय यादव को जान से मारने का इरादे से इसी तमंचे से गोली मार दिया था। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुये थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र साहबदीन यादव निवासी ग्राम भद्दौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष।
2. संतोष यादव उर्फ सानतोन यादव पुत्र यज्ञदेव यादव निवासी ग्राम भद्दौर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 अदद तमंचा, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 115/25 धारा 115(2), 109, 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 राजेश कुमार दीक्षित थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 घनश्याम यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. हे0का0 सत्येन्द्र यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
5. हे0का0 अमित यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
6. का0 जोखन यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।